रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96 REGISTERED NO. DL-33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31, 1996/भाद्र 9, 1918
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31, 1996/BHADRA 9, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 355:– भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :–

कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वश्री शम्भु चरण दत्त एवं अनुप देब जिन्हें क्रमशः पंजाब एवं हरियाणा तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किया गया है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान प्रत्येक अपने वेतनों के अतिरिक्त 2000/– रु. (केवल दो हजार रुपये) प्रति माह अथवा अपने वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/1(1) 96-यू.एस.II]

एम.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 2nd August, 1996

G.S.R. 355.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That S|Shri Justices Sambhu Charan Datta and Anup Deb, Judges of the Orissa High Court, who have been transferred from the Punjab and Haryana and Gauhati High Courts respectively, shall be entitled to receive in addition to their salaries, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000|- (Rupees two thousand) each per mensem, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of their services as Judges of the Orissa High Court.

[No. K. 11017|1(1)|96-US-II]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 356:— भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा. मैथिली शरण, जिन्हें आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/— रु. (केवल दो हजार रु.) प्रति माह अथवा अपने वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/1(3)/96-यू.एस.II]
एम पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 356.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order, namely :—

That Dr. Justice Maithli Sharan, Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred from the Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000|- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Allahabad High Court.

[No. K. 11017|1(3)|96-US-II]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 357,— भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वश्री प्रेम कृष्ण पल्ली एवं सुरेन्द्र सरूप, जिन्हें क्रमशः राजस्थान एवं पटना उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किया गया है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/— रु. (केवल दो हजार रु.) प्रति माह अथवा अपने वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/1(4)/96 यू.एस.II]
एम.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 357.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That S|Shri Justice Prem Krishen Palli and Surinder Sarup, Judges of the Himachal Pradesh High Court, who have been transferred from the Rajasthan and Patna High Courts respectively, shall be entitled to receive in addition to their salaries, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000|- (Rupees two thousand) each per mensem, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of their services as Judges of the Himachal Pradesh High Court.

[No. K. 11017|1(4)|96 US-II]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 358:— भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुमन दत्तात्राम पंडित जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, गुजरात उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/— रु. (केवल दो हजार रु.) प्रति माह अथवा अपने वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के.-11017/1(5)/96-यू.एस.II]
एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 358.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Suman Dattaram Pandit, Judge of the Gujarat High Court, who has been transferred from the Delhi High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000|- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Gujarat High Court.

[No. K. 11017|1(5)|96-US-II]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 359:— भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री भवानी सिंह, जिन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानन्तरित किया गया है, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि

के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/- रु. (केवल दो हजार रु.) अथवा वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/1(6)-96-यू.एस. II]

एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 359.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Bhawani Singh, Judge of the Jammu & Kashmir High Court, who has been trasferred from the Himachal Pradesh High Court. shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Jammu & Kashmir High Court.

[No. K. 11017/1(6)/96-US-II]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 360.०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नंद कुमार अग्रवाल, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/- रु. (केवल दो हजार रु.) प्रतिमाह अथवा वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/1(7)/96-यू.एस. II]

एम.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 360.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Nand Kumar Aggarwal, Additional Judge of the Punjab and Haryana High Court, who has been transferred from the Rajusthan High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as a Additional Judge of the Punjab and Haryana High Court.

[No. K. 11017/1(7)/96-US II]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 361,—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि बंबई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुरिन्दर सिंह निज्जर, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, बंबई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतरिक्त 2000/- रु. (केवल दो हजार रु.) प्रति माह अथवा वेतन का 10%, जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/1(8)/96-यू.एस.-II]

एम.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 361.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Surinder Singh Nijjar, Additional Judge of the Bombay High Court, who has been transferred from the Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as an Additional Judge of the Bombay High Court.

[No. K. 11017/1(8)/96-US-II]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 362,— भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विनोद कुमार गुप्ता, जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/- रु. (केवल दो हजार रु.) प्रतिमाह अथवा वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के.-11017/1(9)/96-यू.एस. II]

एम.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 362.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Vinod Kumar Gupta, Judge of the Calcutta High Court, who has been transferred from the Jammu and Kashmir High Court, shall entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Calcutta High Court.

[No. K. 11017/1(9)/96-US-II]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा. का.नि. 363.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रामप्रकाश गुप्ता, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/ रु. (केवल दो हजार रु.) प्रतिमाह अथवा वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ती करने के हकदार होंगे !

[सं.के. 11017/1(10)96-यू.एस.(II)]
एम.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 363.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Ram Prakash Gupta, Judge of the Madhya Pradesh High Court, who has been transferred from the Calcutta High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Madhya Pradesh High Court.

[No. K. 11017/1(10)/96-US-II]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 364.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

कि राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जगदीश चन्द्र वर्मा, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/-रु. (केवल दो हजार रु.)प्रतिमाह अथवा वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे !

[सं. के. 11017/1(12)/96-यू.एन.II]
एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 364.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Jagdish Chandra Verma, Additional Judge of the Rajasthan High Court, who has been transferred from the Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as an Additional Judge of the Rajasthan High Court.

[No. K. 11017/1(12)/96-US-II]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 365.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश करते है , अर्थात :-

कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गुरुदास दत्ता कामत, जिन्हें बम्बई उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/-रु. (केवल दो हजार रु.) प्रतिमाह अथवा वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/1(13)/96-यू. एस. II]
एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 365.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Gurudas Datta Kamat, Chief Justice of the Gujarat High Court, who has been transferred from the Bombay High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as Chief Justice of the Gujarat High Court.

[No. K. 11017/1(13)/96-US-II]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सा. का. नि. 366.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रामप्रकाश सेठी, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000 रु. केवल दो हजार रु.) प्रतिमाह अथवा वेतन का 10% जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/1(14)/96-यू.एस.II]
एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 366.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President herey makes the following order namely :—

That Shri Justice Ram Prakash Sethi, Chief Justice of the Karnataka High Court, who has been transferred from the Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive in addition of his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as Chief Justice of the Karnataka High Court.

[No. K. 11017/1(14)/96-US-II]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1996

सा. का. नि. 367 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 148 की धारा (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक से परामर्श के बाद केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियमावली, 1996 होगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 में :—

(क) नियम 13 में उपनियम 2 से 6 के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

(2) विवाह, वार्षिकोत्सव दाहसंस्कार या धार्मिक उत्सवों पर जबकि धार्मिक तथा सामाजिक प्रथा के अनुसार उपहार दिए जाते हैं तो सरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों अथवा ऐसे मित्रों जिनका कर्मचारी की पदीय हैसियत से कोई संबंध न हो उपहार स्वीकार कर सकता है परन्तु यदि उपहार का मूल्य नीचे दी गई सीमा से अधिक हो तो सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना सरकार को देगा :—

(i) समूह "क" पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में पांच हजार रुपये।

(ii) समूह "ख" पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में तीन हजार रुपये ।

(iii) समूह "ग" पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में एक हजार रुपये ।

(iv) समूह "घ" पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में पांच सौ रुपये।

3. किसी अन्य मामले में उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक होने पर, सरकारी कर्मचारी उसे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा —

(i) समूह "क" अथवा समूह "ख" पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में एक हजार रुपए; तथा

(ii) समूह 'ग" अथवा "घ" पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में दो सौ पचास रुपये।

4. उप नियम (2) तथा (3) में दी गई किसी बात के बावजूद कोई सरकारी कर्मचारी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का सदस्य होने के नाते अथवा अन्यथा विदेशी पदाधिकारियों से उपहार प्राप्त कर सकता है तथा अपने पास रख सकता है यदि किसी एक अवसर पर प्राप्त उपहारों का बाजार मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है। अन्य सभी मामलों में ऐसे उपहारों को स्वीकार करना तथा रखना समय-समय पर इस सरकार द्वारा जारी आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

5. कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसी किसी विदेशी फर्म से उपहार स्वीकार नहीं करेगा जिसका या तो भारत सरकार के साथ कोई करार है अथवा उसके साथ सरकारी कर्मचारी का कोई संबंध था, है अथवा होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारी द्वारा अन्य किसी फर्म से उपहार स्वीकार करना उप नियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन होगा ;

(ख) नियम 15 के उपनियम (1) में खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(घ) निम्नलिखित के बनाने में किसी भी तरीके से भाग लेना या उससे सम्बद्ध होना —

(i) प्रायोजित मीडिया (रेडियो अथवा दूरदर्शन) कार्यक्रम; अथवा

(ii) सरकारी मीडिया द्वारा चलाए गए परन्तु निजी ऐजेंसी द्वारा निर्मित मीडिया कार्यक्रम; अथवा

(iii) वीडियो पत्रिका सहित निजी तौर पर निर्मित मीडिया कार्यक्रम; बशर्ते कि जहां सरकारी कर्मचारी अपने पद की हैसियत से सरकारी मीडिया द्वारा चलाए गए अथवा निर्मित कार्यक्रम में भाग लेता है तो ऐसे मामलों में पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी";

(ग) नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"15—क. सरकारी आवास को किराए पर देना और उसको खाली कराना।

(i) इस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित के सिवाय कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसको सरकारी आवास आबंटित किया गया है किसी अन्य व्यक्ति को आवास किराये पर पट्टे पर उठाने नहीं देगा अथवा अन्यथा रहने की अनुमति नहीं देगा।

(ii) सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास का आबंटन रद्द हो जाने पर उसे आबंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर खाली कर देगा ;

(घ) नियम 16 में उप-नियम (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी स्टॉक शेयर और अन्य निवेश में सट्टेबाजी नहीं करेगा या अन्यथा पूंजी निवेश नहीं करेगा : स्टॉक दलालों, विधिवत् प्राधिकृत और लाइसेंस प्राप्त अन्य व्यक्तियों या जिन्होंने संगत विधि के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, के माध्यम से किए गए कभी-कभार के निवेशों पर यह उपनियम लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण :—शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों को बार-बार खरीदना अथवा बेचना या दोनों, इस उप नियम की परिभाषा में सट्टेबाजी मानी जाएगी।

(ii) कोई भी सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के कोई भी सदस्य या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति कोई भी ऐसा निवेश नहीं करेगा या इसकी अनुमति नहीं देगा जिससे कि उसके सरकारी कार्य के निष्पादन में उसके परेशान होने या प्रभावित होने की संभावना हो। इस प्रयोजन के लिए कंपनियों के निदेशकों या उनके मित्रों और सहयोगियों के लिए आरक्षित कोटा में से शेयरों की कोई खरीद ऐसा निवेश मानी जायेगी जिसकी सरकारी कर्मचारी को परेशान करने की संभावना हो।

(ङ) नियम 18 में उप-नियम (3) में "10 000/—रु." और "5 000/—रु." के लिए क्रमशः "15,000/—रु." और "10,000/—रु." संक्षेपण और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 11013/4/93—स्था. (क)]

कृष्ण मेनन, उप सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम गृह मंत्रालय के दिनांक 30 नवम्बर, 1964 के का. ज्ञा. सं. 15-4-63—स्था. (क) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्न द्वारा संशोधित किए गए थे :—

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख	भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित का. आ.	तारीख
1	2	3	4	
1.	25/23/68—स्था. (क)	3-2-70	482	14-02-70
2.	25/11/72—स्था. (क)	24-10-72	3643	4-11-72
3.	25/57/64—स्था. (क)	05-01-73	83	13-01-73
4.	11013/12/75—स्था. (क)	13-02-76	846	28-02-76
5.	25/10/71—स्था. (क)	30-06-76	2563	17-07-76
6.	11013/19/75—स्था. (क)	06-07-76	2691	24-07-76
7.	11013/06/75—स्था. (क)	24-11-76	4663	11-12-76
8.	11013/04/76—स्था. (क)	24-08-77	2859	17-09-77
9.	11013/03/78—स्था. (क)	22-09-78	2859	30-09-78
10.	11013/12/78—स्था. (क)	22-12-78	3	06-01-80
11.	11013/3/80—स्था. (क)	24-04-80	1270	10-06-80
12.	11013/21/85—स्था. (क)	03-10-85	4812	19-10-85
13	11013/6/85—स्था. (क)	21-02-86	935	08-03-86
14.	11013/11/85—स्था. (क)	07-03-86	1124	22-03-86
15.	11013/5/86—स्था. (क)	04-09-86	3159	20-09-86
16.	11013/16/85—स्था. (क)	10-09-86	3280	27-09-86
17.	11013/1/87—स्था. (क)	27-07-87	1965	08-08-87
18.	11013/19/87—स्था. (क)	19-04-88	1454	14-05-88
19.	11013/18/87—स्था. (क)	18-09-90	2582	06-10-90
20.	11013/20/91—स्था. (क)	09-12-92	3132	26-12-92
21.	11013/4/93—स्था. (क)	12-07-95	335	29-07-95

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 16th August, 1996

G.S.R. 367.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President

hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Conduct) Amendment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, —

(a) in rule 13, for sub-rules (2) to (6), the following sub-rules shall be substituted namely :—

"(2) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious and social practice, a Government servant may accept gifts from his near relatives or from his personal friends having no official dealings with him, but shall make a report to the Government, if the value of such gift exceeds —

(i) rupees five thousand in the case of a Government servant holding any Group 'A' post;

(ii) rupees three thousand in the case of a Government servant holding any Group 'B' post;

(iii) rupees one thousand in the case of a Government servant holding any Group 'C' post ; and

(iv) rupees five hundred in the case of a Government servant holding any Group 'D' post.

(3) In any other case, a Government servant shall not accept any gift without the sanction of the Government if the value exceeds—

(i) rupees one thousand in the case of Government servants holding any Group "A" or Group "B" post; and

(ii) rupees two houndred and fifty in the case of Government servants holding any Group "C" or Group "D" post.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2) and (3), a Government servant, being a member of the Indian delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignitaries if the market value of gifts received on one occasion does not exceed rupees one thousand. In all other cases, the acceptance and retention of suh gifts shall be regulated by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

(5) A Government servant shall not accept any gifts from any foreign firm which is either contracting with the Government of India or is one with which the Government servant had, has or is liely to have official dealings. Acceptance of gifts by a Government servant from any other firm shall be subject to the provisons of sub-rule (3)"

(b) in rule 15, in sub-rule (1), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

"(f) participate in or associate himself in any manner in the making of—

(i) a sponsored media (radio or television) programme; or

(ii) a media programme commissioned by Government media but produced by a private agency; or

(iii) a privately produced media programme including video magazine :

Provided that no previous permission shall be necessary in case where the Government servant participates in a programme produced or commissioned by Government media in his official capacity.";

(c) after rule 15, the following rule shall be inserted, namely :—

"15-A. Sub-letting and vacation of Government accommodation.

(1) Save as otherwise provided in any other law for the time being in force, no Government servant shall sub-let, lease or otherwise allow occupation by any other person of Government accommodation which has been allotted to him.

(2) A Government servant shall, after the cancellation of his allotment of Government accommodation vacate the same within the time-limit prescribed by the allotting authority.";

(d) in rule 16, for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) No Government servant shall speculate in any stock, share or other investment : Provided that nothing in this sub-rule shall apply to occasional investments made through stock brokers or other persons duly authorised and licensed or who have obtained a certificate of registration under the relevant law.

Explanation.—Frequent purchase or sale or both, of shares, securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-rule.

(2) No Government servant shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make, any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official

duties. For this purpose, any purchase of shares out of the quotas reserved for Directors of Companies or their friends and associates shall be deemed to be an investment which is likely to embarrass the Government servant.";

(e) in rule 18, in sub-rule (3), for the abbreviations and figures "Rs. 10,000|-" and "Rs. 5,000|-, the abbreviations and figures "Rs. 15,000" and "Rs. 10,000" shall respectively be substituted.

[No. 11013|4|93-Estt. (A)]
KRISHNA MENON, Dy. Secy.

NOTE : The Principal rules were published in the Gazette of India vide Ministry of Home Affairs Notification No. 15|4|63-Estt. (A) dated 30th Nov., 1964 and subsequently amended vide :—

S. No.	Notification No.	Date	Published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) S.O.No.	Date
1.	25/23/68-Estt.(A)	3-02-70	482	14-02-70
2.	25/11/72-Estt. (A)	24-10-72	3643	4-11-72
3.	25/57/64-Estt. (A)	5-01-73	83	13-01-73
4.	11013/12/75-Estt. (A)	13-02-76	846	28-02-76
5.	25/19/74-Estt. (A)	30-06-76	2563	17-07-76
6.	11013/19/75-Estt. (A)	6-07-76	2691	24-07-76
7.	11013/06/75-Estt. (A)	24-11-76	4663	11-12-76
8.	11013/4/76-Estt. (A)	24-08-76	2859	17-09-77
9.	11013/03/78-Estt. (A)	22-09-78	2859	30-09-78
10.	11013/12/78-Estt. (A)	22-12-78	3	06-01-80
11.	11013/3/80-Estt. (A)	24-04-88	1270	10-06-80
12.	11013/21/85-Estt. (A)	03-10-85	4812	19-10-85
13.	11013/6/85-Estt. (A)	21-02-86	935	08-03-86
14.	11013/11/85-Estt. (A)	07-03-86	1124	22-03-86
15.	11013/5/86-Estt. (A)	04-09-86	3159	20-09-86
16.	11013/16/85-Estt. (A)	10-09-86	3280	27-09-86
17.	11013/1/87-Estt. (A)	27-07-87	1965	08-08-87
18.	11013/19/87-Estt. (A)	19-04-87	1454	14-05-88
19.	11013/18/87-Estt. (A)	18-09-70	2582	06-10-90
20.	11013/20/91-Estt. (A)	09-12-72	3132	26-12-92
21.	11013/4/93-Estt. (A)	12-07-95	GSR 355	29-07-95 (In Part II, Sec. 3, sub-sec. sec (i))

वित्त मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1996

सा. का. नि. 368:—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन) की तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 3216 (जिसे इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए यह निदेश देती है कि मैसर्स नाइकीमेड एशिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में, एक विदेशी कम्पनी होने के कारण, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा यथा उपान्तरित निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि कम्पनी, 30 मार्च, 1994 से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि की बाबत अपने भारतीय कारबार लेखाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा।

(1) ऐसी कम्पनी की भारतीय शाखा द्वारा प्राप्तियों तथा संदायों का विवरण जिसका प्रमाणीकरण :—

(क) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा

(ख) भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया गया है,

यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त विवरण में 30 मार्च, 1994 से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि में भारत में कम्पनी के प्राप्तियों और संदायों का सही और उचित अवलोकन है।

(2) भारत में कम्पनी की आस्तियों और दायित्वों का विवरण जिसका प्रमाणीकरण :—

(क) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा

(ख) भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया गया है,

यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त विवरण में 30 मार्च, 1994 से प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि में भारत में कम्पनी के क्रियाकलाप की स्थिति का सही और उचित अवलोकन है।

(3) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत अपेक्षित की तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र कि कम्पनी ने 30 मार्च, 1994 को प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान भारत में कोई व्यापारिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलाप नहीं किया है।

[सं. 50/26/95—सी एल —III]

आर. एन. वासवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 14th August, 1996

G.S.R. 368.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216, dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as the Notification) the Central Government hereby directs that in the case of M/s. NYCOMED ASIA LIMITED, 9, Choudhry Colony, Off Sterling Road, Madras-600 034 (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the said Notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 if, in respect of the period commencing from the 30th day of March, 1994 and ending on the 31st day of December, 1994, the company in respect of its Indian Business Accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch of such Company, certified by :—

(a) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of section (1) of section 592 of the Act ; and

(b) a Chartered Accountant practising in India ;

Certifying that the said statement gives a true and fair view of the receipts and payments of the company in India for the period commencing from the 30th day of March, 1994 and ending on the 31st day of December, 1994 ;

(ii) a statement of the company's assets and liabilities in India certified by ,—

(a) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of Sub-Section (1) of section 592 of the Act ; and

(b) a Chartered Accountant practising in India :

Certifying that the said statement gives a true and fair view of the state of affairs of the company in India as at the end of the period commencing from the 30th day of March, 1994 and ending on the 31st day of December, 1994 .

(iii) a certificate duly signed by person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of section 592 of the Act certifying that the company did not carry on any trading, commercial or industrial activity in India during the period commencing from the 30th March, 1994 and ending on the 31st day of December, 1994.

[No. 50/26/95-CL-III]

R. N. VASWANI, Under Secy.

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 369—अजवाइन बीज (साबुत और चूर्ण) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1995 का निम्नलिखित प्रारूप का जिसे, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अजवाइन बीज (साबुत) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1970 को अधिक्रांत करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उसके बाद, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जायेगा।

ऐसा कोई व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई सुझाव या आक्षेप करना चाहता है, उन्हें इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार, के विचारार्थ, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, एन.एच.—4, फरीदाबाद-121001 को भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अजवाइन बीज (साबुत और चूर्ण) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1995 है ;

(2) ये अजवाइन बीज (ट्रेकीस्पर्मम अम्मी) (लिन) साबुत और चूर्ण को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) कृषि विपणन सलाहकार से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है।

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाण पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट श्रेणी मानक और प्रक्रिया के अनुसार वस्तु उस श्रेणी के रूप और चिन्हांकन करने के लिये प्राधिकार प्रमाण पत्र दिया गया है।

3. श्रेणी अभिधान

चीज वस्तु की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिये श्रेणी अभिधान अनुसूची II के स्तम्भ में वर्णित के अनुसार होंगे।

4. क्वालिटी की परिभाषा

ऐसे श्रेणी अभिधान द्वारा उपदर्शित क्वालिटी और अजवाइन के साधारण लक्षण अनुसूची II के स्तम्भ 2 से 7 और अनुसूची III के स्तम्भ 2 से 8 के सामने प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने यथा वर्णित प्रकार की होंगी।

5. श्रेणी अभिधान चिन्ह—इसी श्रेणी अभिधान चिन्ह से निम्नलिखित होंगे :

(i) वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट करने वाला लेबल, जिस पर "एगमार्क" शब्द सहित भारत के मानचित्र की बाहरी रेखाओं का डिजाइन होगा और अनुसूची I क में उपवर्णित से मिलता-जुलता शब्दों सहित उगते सूरज का चित्र होगा।

(ii) "एगमार्क प्रतिकृति" में एक डिजाइन होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र की संख्या, एगमार्क शब्द, वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान होगा जो अनुसूची I-ख में उपवर्णित से मिलता-जुलता होगा ;

परन्तु यह कि एगमार्क लेबलों के स्थान पर एगमार्क प्रतिकृति के उपयोग की केवल उस प्राधिकृत पैकर को अनुज्ञा की जायेगी जिसे कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन यथा विहित शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी गई है।

6. चिन्हांकन पद्धति :

(1) श्रेणी अभिधान चिन्ह को प्रत्येक आधान पर सुरक्षित रूप से लगाया जायेगा या अमिट रूप से मुद्रित किया जायेगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट एवं अमिट रूप से चिन्हित की जायेंगी :—

(क) पैकर का नाम और पता,

(ख) पैक करने का स्थान,

(ग) पैक करने की तारीख, मास और वर्ष में,

(घ) लाट/बैच संख्या,

(ङ) शुद्ध भार,

(च) कीमत।

3. कोई प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अपने प्राइवेट व्यापार चिन्ह को या व्यापार ब्रांड को श्रेणीकृत पैकेज पर चिन्हित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि वह, इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेज पर अंकित किये गये श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न न हो।

7. पैक करने की पद्धति :—

(1) श्रेणीकृत वस्तु को स्वच्छ, मजबूत और सूखे आधानों जैसे जूट के थैलों, सूती थैलों, बहुने थैलों, कागज के थैलों, पालिथिलिन के पटलित पाउचों, गत्ते के बक्सों, टिन, कांच, प्लास्टिक के आधानों, लकड़ी के बक्सों या अन्य सामग्री में या किसी अन्य ऐसी रीति में जैसा कि कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित किया जाये, परन्तु यह तब जबकि पैकिंग सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त खाद्य श्रेणी की हो,

(2) चूर्णीकृत सामग्री के जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, गत्ते के बक्सों आदि में पैक करने के लिये कम से कम 100 माइक्रान मोटाई के पालिथिलीन या पालीप्रोपाइलेन का उपयोग किया जायेगा।

(3) सभी मामलों में, आधान कीटग्रमन, कवक संदूषण, रंग छोड़ने वाली सामग्री, विषैले पदार्थों या किसी अवांछित गंध या दुर्गन्ध से मुक्त होगा,

(4) प्रत्येक आधान को सुरक्षित रूप से बंद और यथोचित रूप से सील किया जायेगा।

8. प्राधिकार प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिये विशेष शर्तें :—

साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन अजवाइन (साबुत और चूर्ण) के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिये प्राधिकार प्रमाण पत्र देने के लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत पैकर, श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार अजवाइन (साबुत और चूर्ण) की क्वालिटी जांच करने के लिये कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा संचालित अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा या वह राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के पहुंच रखेगा;

(2) प्रसंस्करण श्रेणीकरण और पैकिंग के लिये परिसर का रखरखाव पूर्ण स्वास्थ्यकर और स्वच्छ दशाओं में किया जायेगा;

(3) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिक स्वस्थ और किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

अनुसूची 1—क

[नियम 5(1) देखें]

एगमार्क लेबल का डिजाइन

अनुसूची 1—ख

[नियम 5(2) देखें]

एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन

अनुसूची 2

(नियम 3 और 4 देखें)

अजवाइन (साबुत) के बीजों की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा विशेष अपेक्षाएं				
	द्रव्यमान के प्रतिशत से बाह्य कार्बनिक पदार्थ (अधिकतम)	द्रव्यमान के प्रतिशत से बाह्य अकार्बनिक पदार्थ (अधिकतम)	द्रव्यमान के प्रतिशत से विखण्ड, अपनव घुन लगे हुए, क्षतिग्रस्त और विवर्णित बीज	द्रव्यमान के प्रतिशत से नमी	वाष्पशील तेल मी.ली. 100 ग्राम
1	2	3	4	5	6
श्रेणी 1	0.5	0.25	0.5	10.5	3.5
श्रेणी 2	0.75	0.5	1.0	10.0	2.5
श्रेणी 3	1.0	1.0	1.5	10.0	1.5

अनुसूची-II (क्रमागत)

साधारण अपेक्षाएं
7

अजवाइन के बीज—

1. टैकीस्पर्मम अम्मी (एल) पौधे के पूर्ण फल होंगे ;
2. अजवाइन के बीजों का स्वाद और गंध ताजी और सामान्य तथा संबंधित उत्पाद के समान होगी। इसमें विकृत गंधी स्वाद और मस्टी गंध नहीं होगी ;
3. यह दृश्य फफूंदी, जीवित कीटों या अन्य हानिप्रद बाह्य पदार्थों, कीट ग्रस्तता और कृतक संदूषण से मुक्त होगी;
4. एफ्लेटोक्सिन की मात्रा धात्विक संदूषण और कीटनाशी अवशेष के संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निर्बन्धनों का अनुपालन होगा ।

स्पष्टीकरण :

1. कार्बनिक बाह्य पदार्थ में पत्ती, तना, शल्क, अन्य बीज या कोई अन्य कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं।
2. अकार्बनिक बाह्य पदार्थ में रेत, मिट्टी, धूल, पत्थर या कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ शामिल हैं।
3. सिकुड़े हुए और अपरिपक्व बीज वे हैं जिनका समुचित रूप से विकास नहीं हुआ है।
4. घुन लगे हुए बीज ऐसे बीज हैं जिनमें घुन या अन्य कीटों द्वारा अंशतः या पूर्णतः छिद्र कर दिया गया है या खा लिये गये हैं ।
5. क्षतिग्रस्त या विवर्णित बीज : इसमें टूटे कटे, टूटे, क्षतिग्रस्त और विवर्णित क्षतिग्रस्त और विवर्णित बीज सम्मिलित हैं जो गुणवत्ता को तात्विक रूप प्रभावित करते हैं।

अनुसूची-III

(नियम 3 और 4 देखें)

अजवाइन चूर्णकृत की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा — विशेष अपेक्षाएं					
	द्रव्यमान से आर्द्रता का प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर कुल भार का द्रव्यमान का प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर द्रव्यमान के प्रतिशत से अघुलनशील अम्ल भस्म (अधिकतम)	द्रव्यमान के प्रतिशत से शुष्क भार के आधार पर अपरिष्कृत फाइबर	वाष्पशील तेल मिली लिटर 100 ग्राम	
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी I	10.0	7.0	0.5	20.0	14.0	3.5
श्रेणी II	10.0	8.0	1.0	15.0	18.0	2.0
श्रेणी III	10.0	10.0	1.5	10.0	20.0	1.0

साधारण अपेक्षाएं
8

1. अजवाइन पाउडर चूर्ण, ट्रैकीस्पर्मम अम्मी (एल) पौधे के सूखे, साफ पके फलों को पीस कर अभिप्राप्त सामग्री होगी।
2. चूर्ण का स्वाद और गंध ताजी होगी और सामान्यतया उत्पाद से संबंधित होनी चाहिये । इसका स्वाद विकृत गंधी नहीं होना चाहिये और इसमें मस्टी गंध नहीं आनी चाहिये।
3. उत्पाद धूल, फफूंद और कीटग्रसन से मुक्त होगा।
4. अतिरिक्त रंजक पदार्थ, परिरक्षण और बाहरी स्टार्च से मुक्त होगा।
5. यह स्थूल कणों से मुक्त होगा और इतना बारीक पीसा जायेगा कि वह 500 माइक्रान की छन्नी से निकल जाए ।
6. एफ्लेटोक्सिन की मात्रा, धात्विक संदूषण और कीटनाशक अवशिष्ट के संबंध में इसके लिये खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन विहित निर्बन्धनों का अनुपालन किया जायेगा।

[फा. सं. 18011/10/95-एम-II]

पासाट मोहनदास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 19th August, 1996

G.S.R. 369.—The following draft of the Ajowan Seeds (Whole and powdered) Grading and Marking Rules, 1995, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of the Ajowan Seeds (whole) Grading and Marking Rules, 1970 are hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public ;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of Indai Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, NH, IV, Faridabad—121001.

DRAFT RULES

1. Short title and application :—

(1) These rules may be called the Ajowan Seeds (Whole and powdered) Grading and Marking Rules, 1995 ;

(2) They shall apply to Ajowan Seeds (Trachyspermum ammi) (linn) whole and powdered.

2. Definitions .—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ;

(b) "Schedule" means a schedule appended to these rules ;

(c) "Certificate of authorisation" means a certificate issued under the General Grading and Marking Rules, 1988 ,

(d) "Authorised Packer" means a person or body of persons who has been granted the certificate of authorisation to grade and mark the commodity in accordance with the grade standards and procedure specified under these rules.

3. Grade designation :—The grade designations to indicate the quality of the article shall be as set out in column 1 of Schedule-II.

4. Definition of quality :—The quality indicated by such grade designation and general characteristics of Ajowan shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 7 of Schedule-II and 2 to 8 of Schedule-III.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of—

(i) A label specifying name of the commodity grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun resembling the one as set out in Schedule I-A or ;

(ii) "AGMARK Replica" consisting of a design incorporating the number of certificate of authorisation, the word "AGMARK", name of the commodity, grade designation and resembling the one as set out in Schedule I-B ;

Provided that the use of AGMARK Replica in lieu of Agmark labels shall be allowed only to such authorised packers who have been granted penmission by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard and subject to the conditions as prescribed under the General Grading and Marking Rules, 1988.

6. Method of Marking .—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container ;

(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each container :—

(a) Name and addresss of the packer ;

(b) Place of packing ;

(c) Date of packing in month and year ;

(d) Lot/Batch number ;

(e) Net weight ;

(f) Price

(3) An authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988, India affix his private trade mark or trade brand on graded packages, provided that the same does not indicate quality or grade other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

7. Method of packing .—(1) The graded article shall be packed in clean, sound and dry containers such as jute bags, cotton bags, polywoven bags, paper bags, polyethylene laminated pouches, cardboard cartons, tin, grass, plastic containers, wooden cases or any other materials or in such other manner as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf as per rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988 provided that the packing material is of food grade quality as permitted under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

(2) Polyethylene or polypropylene of minimum 100 microns thickness shall be used in packing of powdered material in jute bags, cloth bags, cardboard cartons etc ;

(3) In all cases, the container shall be free from insect infestation, fungus contamination, materials imparting colour, deleterious substances or any undesirable or obnoxious smell;

(4) Each container shall be securely closed and suitably sealed.

8. Special conditions for grant of certificate of authorisation.—

In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be additional conditions for grant of certificate of authorisation for grading and marking Ajowan (Whole and Powder) under these rules, namely :—

(1) The authorised packer shall either set up his own laboratory manned by a qualified chemist, approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Ajowan (Whole and Powdered) or have access to the State Grading Laboratory or private commercial laboratory approved for the purpose ;

(2) The premises for processing, grading and packing shall be maintained in perfect hygienic and saniatary conditions ;

(3) The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any contagious disease.

SCHEDULE—1-A

[(see rule 5 (i)]

DESIGN OF THE AGMARK LABEL

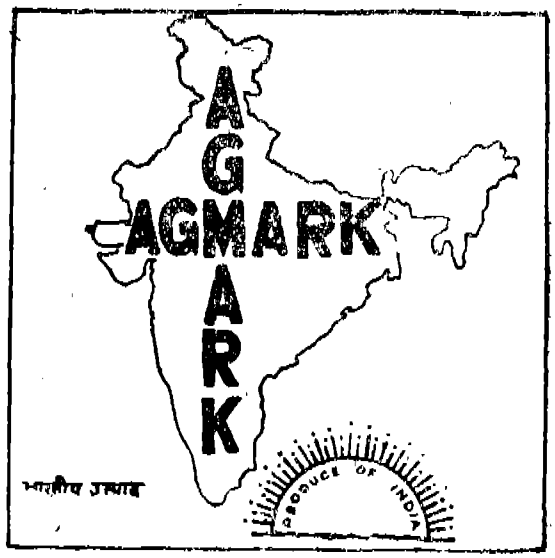

SCHEDULE—1-B

[see rule 5 (ii)]

DESIGN OF AGMARK REPLICA

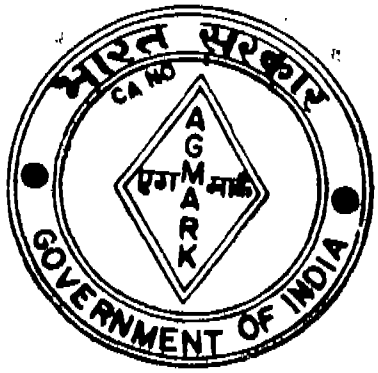

NAME OF COMMODITY.....

GRADE.....

SCHEDULE-II

(See rules 3 & 4)

Grade designations and definitions of quality of Ajowan (whole) seeds

Grade designation	Definition of quality				
	Special requirements				
	Organic extraneous matter per cent by mass (maximum)	Inorganic extraneous matter per cent by mass (maximum)	Shrivelled immature weevilled, damaged and discoloured seeds per cent by mass (maximum)	Moisture per cent by mass (maximum)	Volatile oil ml/100 gms (minimum)
1	2	3	4	5	6
Grade—I	0.5	0.25	0.5	10.0	3.5
Grade—II	0.75	0.5	1.0	10.0	2.5
Grade —III	1.0	1.0	1.5	10.0	1.5

Explanation ; (1) Organic extraneous matter-includes leave, stem, chaff, other seeds or any other organic foreign matter.

(2) Inorganic extraneous[matter-includes-sand, earth, dust, stones or any other inorganic matter.

(3) Shrivelled and immature seeds that have not properly developed.

(4) Weevilled seeds, seeds that are partially or wholly bored or eaten away by weevil or other insects.

(5) Damaged and discoloured seeds; Include seeds that are cut, broken, damaged and discoloured, damaged and discolouration materially affecting the quality.

General requirements

7

The Ajowan seed shall—

(1) be the dried ripe fruits of the plant Trychysoperumum—ammi (L);

(2) taste and smell of ajowan seeds shall be fresh and normally associated with the produce. It shall not give rancid taste and musty odour

(3) be free from visible mould, live insects, any harmful foreign matter, insect infestation and rodent contamination;

(4) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants and insecticide residue as prescribed under the prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

SCHEDULE—III

(See rules 3 & 4)

Grade designations and definitions of quality of Ajowan powdered

Grade designations	Definition of quality					
	Special requirements					
	Moisture per cent by mass	Total ash on dry weight basis, per cent by mass	Acid insoluble Ash, on dry weight basis, per cent by mass	Non-volatile ether extract on dry weight basis per cent by mass	Crude Fribre on dry weight basis per cent by mass	Volatile oil ml/100 gm
	(maximum)	(maximum)	(maximum)	(maximum)	(maximum)	(maximum)
1	2	3	4	5	6	7
Grade –I	10.0	7.0	0.5	20.0	14.0	3.5
Grade—II	10.0	8.0	1.0	15.0	18.0	2.0
Grade—III	10.0	10.0	1.5	10.0	20.0	1.0

General requirements

8

(1) Ajowan powder shall be the material obtained by grinding the dry, Clean, ripe fruits of the plant Trachys,permum ammi. (L)

(2) The taste and smell of the powder shall be fresh and normally associated with the product. It shall not give rancid taste and musty odour,

(3) The produce shall be free from dirt, mould and insect infestation.

(4) It shall also be free[from added colouring matter, preservatives and foreign starch:

(5) It shall be free from coarse perticles and ground to such a fineness that the whole of it passes through 500 micron sieve;

(6) It shall comply with the restrictions in regard to aflatoxic content, metallic contaminants and pesticide residue as prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

[File No. 18011/10/95-M.II]

PALAT MOHANDAS, Jt. Secy.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 370.—इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 26(2) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड दिनांक 17-5-96 को आयोजित अपनी 47वीं बैठक में भारत के राजपत्र में दिनांक 6 मई, 1989 को जी.एस.आर. सं. 329 के अन्तर्गत अधिसूचित, दीक्षांत समारोह के अध्यादेश में संशोधन/परिवर्धन करता है। परिवर्धित खंड जिसे खंड (6क) कहा जायेगा वर्तमान खंड (6) के बाद पढ़ा जायेगा जो इस प्रकार है :

"6(क) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिन्हें अनुरोध पर दीक्षांत समारोह से पहले, निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर डिग्री/डिप्लोमा जारी कर दिये गये हैं क्योंकि वे दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हैं, कुलपति द्वारा डिग्री/डिप्लोमा के लिये अनुपस्थित माने जायेंगे"।

उपरोक्त संशोधन प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की तारीख जो 17-5-96 है, से प्रभावी होगा।

[आई जी/एडमिन(जी)ओ.आर.डी. 1/96]

तिलक आर. केम, कुल सचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 13th August, 1996

G.S.R. 370.—In exercise of the powers vested with it, under the provisions of Section 26(2) of the IGNOU Act, 1985 the Board of Management of the University, at its 47th meeting held on 17-5-1996 had made an amendment/addition to the Ordinance on Convocations, notified under G.S.R. No. 329, in the Gazette of India dated 6th May, 1989. The additional Clause namely, Clause (6-A) will read after the existing Clause (6), as follows :—

"6-A. Such students who have passed their examinations and who have been issued their degrees/diplomas on payment of prescribed fees on request before the Convocation as are unable to present themselves in person at the Convocation, shall be admitted to the Degrees/diplomas in absentia by the Vice-Chancellor."

The above amendment shall be effective from the date of approval of the Board of Management i.e. 17-5-1996.

[No. IG/ADMN(G)/Ord. 1/96]

TILAK R. KEM, Registrar

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996